

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)  
पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 63/2018

1-बजरंग दास पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं  
जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज0

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता--

1-श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज0सरकार जरिये पटवारी हल्का  
सुनारी बनाम बजरंगदास मु0 नं0 62/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.

आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक 23.01.2019



अपीलान्त की ओर से निम्न अपील पेश है :-

1- कि प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी  
दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी आ 1-2


अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)


दास पुत्र श्री गणेशदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 ने खसरा नम्बर 304 रकबा 00.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि गौचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल निसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि पर वजरंग दास पुत्र श्री गणेशदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि वजरंग दास पुत्र श्री गणेशदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किये जाने पर श0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू में मु0 न0 62/2018 दर्ज कर नियमानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 ( सरकार बनाम वजरंगदास ) में अतिक्रमी माना जाकर बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रूपये का 50 गुणा जुर्माना 06 रूपये के आदेश पारित किये हैं।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से स्थिति होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:-

  
अतिरिक्त जिला क्लर्क  
डीडवाना (नागौर)



—: अपील के आधार :-


1. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपारस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपारस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपारस्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं। तथा अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपारस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रियाज अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हरताक्षर करवाये गये है इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपारस्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उक्त स्थान पर अपीलान्त के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने हुये है, जो अपीलार्थी के बड़े भाई मालदास पुत्र गणेशदास के नाम से ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा दिनांक 29.09.1981 फलावट 35X24 अर्थात 840 वर्गमीटर पटटा जारी किया हुआ है, उपरोक्त पटटा सुदा भूमि में आवासीय मकानात बने हुये है तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त पटटा



अतिरिक्त जिला न्यायालय  
जिंद (नागर)

नम्बर 304 में आवादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आवादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है तथा पूर्व में ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा खसरा नम्बर 304 रकबा 36 बीघा 06 विस्वा ग्राम विश्वनाथपुरा में करीब 7.1 बीघा भूमि पर आवासीय भूमि आवंटित की गई थी। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार पिढीयों से काविज होकर रहवास करते आ रहे हैं। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढीयों से अपने रहवासी मकान बना कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में दिल्ली प्राणी जैसी मूलभूत सुविधाओं के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे हैं। जिससे भी अपील अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।
8. यह है कि अपीलान्त के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई रहवासीये मकान व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र उक्त भूमि में बने मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारण के ही वेदखल कर दिया जाता है अथवा यहाँ से खून पसीने को कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने के लिये मजबूर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्था न्यायालय ने कार्य गौर नहीं कर उक्त आदेश चारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्त के विरुद्ध झोप किया जाना न्याय हित में है।
9. यह है कि हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक किये ही रजिस्ट्रार तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की है, जो मौके पर बिना कोई भौतिक रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट



अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डी.ब.ना. (नागौर)

प्रस्तुत कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. यह है कि संकेत पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

11. यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

12. यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर मयाद पर है।

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व निरस्त करने के लिये कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्त ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेन्ट को जरिय नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रधानी पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.05 बीघा गैर मु0 गोचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा अतिक्रमण घाेषित कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व



अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डी.ड.वा. (नागौर)

अधिनियम 1956 के तहत जुर्माना रूपये 06/— अक्षरे रूपये छः का अर्धदण्ड आरोपित किया गया तथा वेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं को दिया अपना जवाब में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा प्रार्थी का आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है। अतः यह कतई साबित नहीं होता कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने जवाब में बताया कि मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजों के समय से बने हुवे है तथा ग्राम पंचायत का पट्टा बना हुआ है।

गौचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा न ही गौचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 8.8.18 को अपना जवाब पेश किया जो शर्हील पत्रावली है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पृष्ठ 5060 सुनारी व भू0आ0नि0 की, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की जांच दिनांक 07.09.18 में भी बजरंग दास पुत्र गणेशदास द्वारा पेश पट्टा जो मालदास पुत्र गणेशदा के नाम से है मौके पर मडत्रौस पश्चिम में मदन सिंह का पक्का मकान है उत्तर में भवरदास कानौरा है पूर्व में आम रास्ता है दक्षिण में आम रास्ता है मौके व प्रोस




आंशिकतः जिला न्यायालय  
जलंधर (पंजाब)

अनुसार पट्टा खसरा संख्या 304 रकबा 0.05 बीघा से ही संबंधित है परन्तु खसरा संख्या 304 मेसे ग्राम पंचायत को ख0सं0 304/1 रकबा 2.10 बीघा व ख0सं0 304/345 रकबा 5.00 बीघा कुल रकबा 7.10 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु दी गयी थी रिकार्ड अनुसार उपरोक्त पट्टा भूमि आबादी विस्तार भूमि से बाहर खसरा संख्या 304 किस्म गै0मु0 गोचर में स्थिति है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।


:::: आ दे श :::

अतः अपीलान्त की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।

  
(बिहारी लाल मिश्रा)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)



निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को भरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(बिहारी लाल मिश्रा)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)